संख्या 1134/अड़तीस-5-11-56एम/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2011

विषयः ग्राम पंचायतों को इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों एवं पाइप पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु परिसम्पत्तियों का हस्तानान्तरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1739/36-5-99-21एम/99 दिनांक 22 अप्रैल, 1999 को अतिक्रमित करते हुए उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अचलों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प, पाइप पेयजल योजनाओ के संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में शासन ने तात्कालिक प्रभाव से निम्न निर्णय लिये हैं-

I- ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत नये इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प तथा एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएँ कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के उपरान्त उन्हें ग्राम पंचायत को रखरखाव हेतु हस्तानान्तरित किया जायेगा एवं इनके रखरखाव का समस्त कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किया जायेगा।

II- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अधिष्ठापित नये व रिबोर हैण्डपम्प तथा एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं को संलग्न प्रारूप पत्र-1 पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा। उक्त प्रारूप पत्र राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की वेबसाइट (www.swsmup.org) पर उपलब्ध है। उक्त हस्तान्तरित इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प /एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त ग्राम सभा के परिसम्पत्ति रजिस्टर में भी दर्ज किया जायेगा।

III- ग्राम पंचायतों को हस्तानान्तरित किये जाने वाले इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों/ पाइप पेयजल योजना के रखरखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था 13वें वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो को प्राप्त धनराशि से की जायेगी।

IV- हैण्डपम्प की खराबी के समय सामान्य मरम्मत (**Minor Repair**) कार्य जिसमें खराब बियरिंग बदलना, ग्रीसिंग करना एवं टूटी चेन बदलना, एक्सल बदलना, कनेक्टिंग राड एवं जी0आई0पाइप की चूड़ी खराब हो जाने पर चूड़ी बनाकर उन्हें फिट करना, सिलेण्डर के वासर बदलना, चेक वाल्व खराब होने पर बदलने का कार्य, नट-बोल्ट कसना तथा उनको बदलने का कार्य, भू-जल स्तर नीचे चले जाने पर जी0आई0 पाइप तथा कनेक्टिंग राड को बढ़ाने के कार्य का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत

का होगा। इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

V- यदि ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा तैनात हैण्डपम्प मैकेनिक प्रस्तर–IV पर उल्लिखित कार्य को कराने के पश्चात भी हैण्डपम्प को कियाशील नही कर पाते है (बोर भर जाने के कारण, बोर मे पानी कम होने के कारण, स्ट्रेनर फट जाने के कारण) तो उसकी सूचना सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को दी जायेगी, जो सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को हैण्डपम्प की मेजर मरम्मत की कार्यवाही हेतु पत्र द्वारा सूचित करेंगे।

VI- सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के यहॉ से बडे मरम्मत (Major Repair) वाले हैण्डपम्पों की प्राप्त सूची के हैण्डपम्पो का परीक्षण कराकर निम्न कार्यवाही करते हुए हैण्डपम्पों को कियाशील कराना सुनिश्चित करेंगे:–

(अ) बोर भर जाने पर बोर की सफाई कराकर यदि हैण्डपम्प कियाशील हो जाता है तो कियाशील करना।

(ब) चट्टानी क्षेत्रों में बोर में पानी समाप्त हो जाने पर बोर में पानी आने की सम्भावना के दृष्टिगत हैण्डपम्प की फ्लसिंग अथवा हाइड्रो फ्रेक्चरिंग का कार्य कराकर हैण्डपम्प को कियाशील करना।

VII. उपरोक्त प्रस्तर–V की कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

VIII. यदि किसी इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प के बोर का केसिंग पाइप अथवा स्ट्रेनर फट गया है एवं उक्त मरम्मत कार्य करने के उपरान्त भी हैण्डपम्प कियाशील नही किया जा सकता है तो ऐसी परिस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम सम्बन्धित इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प की रिबोरिंग की संस्तुति मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी को प्रेषित कर उनसे प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित विकास खण्डो के माध्यम से रिबोरिंग का कार्य सम्पादित करावेंगे। रिबोरिंग हेतु धनराशि का प्राविधान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही होगा।

IX. स्वजलधारा योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत संचालित एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएँ पूर्णतः ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में रहेंगी एवं उनके संचालन एवं रखरखाव का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का होगा।

X. ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रिम आदेशों तक मैदानी क्षेत्रो मे उत्तर प्रदेश जल निगम एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल संस्थान का होगा।

2– कृपया इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

शासनादेश संख्या 1134/अड्तीस–5–11–56ग्राम/2010 का संलग्नक।

ग्राम पंचायतों को हैण्डपम्प (नये व रिबोर) तथा पाइप पेयजल योजनाओं को हस्तानान्तरित करने का रूप पत्र

प्रपत्र–1

	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	मजरे का नाम	हैण्डपम्प / पाइप पेयजल योजना का लोकशन	अधिष्ठापन का दिनाक	नया अथवा रिबोर	पी0वी0सी0 पाइप की गहराई मीटर मे	जी0आई0 पाइप की लम्बाई मी0 में	बोर मे जल स्तर मीटर मे	प्लेटफार्म की स्थिति	जल निकासी नाली की स्थिति	हस्तातरण का दिनाक	टिप्पणी
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

हस्तान्तरण करने वाले
अवर अभियन्ता का नाम व हस्ताक्षर

हस्तगत लेने वाले सचिव
ग्राम पचायत का नाम
व हस्ताक्षर

अवलोकित
ग्राम प्रधान हस्ताक्षर व मोहर